न्यायालय उप जिला कलक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट बांदीकुई (दौसा)

PH:-01420-228487 E-Mail:-sdo-ban-dau-rj@nic.in

प्रकरण संख्या :—27/2024

प्रकरण दायर दिनांकः—15.03.2024

प्रकरण निर्णय दिनांकः— 14.08.2024

उनवान— राज. सरकार बनाम अमरसिंह वगै.

राजस्व ग्राम जस्सापाडा स्थित खातेदारी भूमि में से मौके पर चालू रास्ते की भूमि को गै.मु. रास्ता दर्ज करने बाबत

निर्णय दिनांकः—14.08.2024

तहसीलदार बॉदीकुई ने पत्र क्रमांकः राजस्व/2024/249 दिनांकः 14.03.2024 द्वारा राजस्व ग्राम जस्सापाडा स्थित खातेदारी भूमि खाता सं. नया 122 पुराना 118 के खसरा नं. 582 रकबा 0.35 हैक्ट. में से 0.35 हैक्ट. एवं खाता सं. नया 1 पुराना 1 के खसरा नं. 578 रकबा 0.05 हैक्ट. में से 0.05 हैक्ट. एवं खसरा नं. 583 रकबा 0.03 हैक्ट. में से 0.03 हैक्ट. भूमि का प्रस्ताव गै. मु. रास्ते के रूप में राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने बाबत प्रस्तुत किया है। प्रस्ताव की ताईद में उप तहसीलदार आभानेरी, पटवारी हल्का आभानेरी, भू. अ. निरीक्षक आभानेरी मौका फर्द (मौका पर्चा) दिनांकः 07.03.2024, राजस्व जमाबंदी संवत 2073—76 ग्राम जस्सापाडा खाता सं. नया 01 पुराना 01 एवं खाता सं. नया 122 पुराना 118 एवं संलग्न नक्शा ट्रेस जिसमें प्रस्तावित रास्ते को प्रदर्शित किया गया है, प्रस्तुत की है। तहसीलदार बॉदीकुई द्वारा उक्त खातेदारी भूमि में से मौके पर चालू रास्ते की भूमि को गैर मुमकिन रास्ता दर्ज करने का निवेदन किया है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थीगण/खातेदारान हेतु विधिवत नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थीगण बाबूलाल, रामसिंह, आशादेवी, रसना, सत्यनारायण, अमरसिंह, पूनीदेवी एवं जितेन्द्र स्वयं न्यायालय हाजा उपस्थित आये। रास्ते बाबत आपत्ति प्रकट की एवं आदेशिका पर हस्ताक्षर किये। अप्रार्थी बाबूलाल पुत्र रामचन्द्र की ओर से एड श्री रामस्वरूप एवं अप्रार्थीगण अमरसिंह, रामसिंह पुत्रान हीरा, पूनी पत्नि मोती, सत्यनारायण पुत्र मोती, आशा पत्नि भोमा, रसना पुत्री भोमा की ओर से एड श्री अमरसिंह गुर्जर ने वकालतनामा पेश किया। अप्रार्थीगण बाबूलाल पुत्र रामचन्द्र, जितेन्द्र पुत्र कन्हैया, मोहनलाल पुत्र रामचन्द्र की ओर से जवाब पेश किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा जवाब पेश कर निवेदन किया गया कि खसरा नंबर 582 में से होकर मौके पर कोई रास्ता नहीं है तथा कोई रास्ते संबंधी राजस्व रिकार्ड दर्ज करने की कार्यवाही नहीं करें तथा कार्यवाही को इसी स्तर पर खारिज फरमाया जाकर कार्यवाही ड्रॉप किये जाने के आदेश प्रदान करे।

प्राप्त प्रस्ताव पर उभयपक्ष बहस सुनी गयी। हमने उभयपक्ष बहस पर मनन किया। तहसीलदार बॉदीकुई से प्राप्त प्रस्ताव एवं संलग्न दस्तावेजात तथा अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत जवाब का अवलोकन किया गया। तहसीलदार बॉदीकुई द्वारा राजस्व ग्राम जस्सापाडा स्थित खातेदारी भूमि खाता सं. नया 122 पुराना 118 के खसरा नं. 582 रकबा 0.35 हैक्ट. में से 0.35 हैक्ट. एवं खाता सं. नया 1 पुराना 1 के खसरा नं. 578 रकबा 0.05 हैक्ट. में से 0.05 हैक्ट. एवं खसरा नं. 583 रकबा 0.03 हैक्ट. में

उपखण्ड अधिकारी
बांदीकुई

Scanned with OKEN Scanner

से 0.03 हैक्ट. भूमि का प्रस्ताव गै. मु. रास्ते के रूप में राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने बाबत पेश किया है। अप्रार्थीगण/खातेदारान बाबूलाल, रामसिंह, आशादेवी, रसना, सत्यनारायण, अमरसिंह, पूनीदेवी एवं जितेन्द्र द्वारा रास्ते बाबत आपत्ति प्रकट कर आदेशिका पर हस्ताक्षर किये गये हैं। अप्रार्थीगण द्वारा पेश जवाब में खसरा नंबर 582 में से होकर मौके पर कोई रास्ता नहीं होने के कारण प्रकरण की कार्यवाही को निरस्त करने का निवेदन किया गया है। अतः प्राप्त प्रस्ताव बाबत उपस्थित खातेदारान द्वारा आपत्ति प्रकट करने व जवाब प्रस्तुत कर असहमति प्रकट करने से प्राप्त प्रस्ताव स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः उभयपक्ष बहस पर मनन करने एवं तहसीलदार बॉदीकुई से प्राप्त प्रस्ताव व अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत जवाब के अवलोकन के आधार पर तहसीलदार बॉदीकुई द्वारा राजस्व ग्राम–जस्सापाडा स्थित खातेदारी भूमि में से प्रस्तावित रास्ते को राजस्व रिकार्ड में गै. मु. रास्ता दर्ज करने बाबत प्रस्तुत प्रस्ताव खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(रामसिंह राजावत)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
बांदीकुई

उपखण्ड अधिकारी
बांदीकुई

Scanned with OKEN Scanner

	मोती, सा... सोमा, रसना मुमा ... को दकान ... वास्ते श्री ...सिंह मुनर ... किया गया। पत्रावली शामिल किया। जवाब दिनांक: 29-5-24 को पेश हो।
	उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई
29-5-24	पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष उपस्थित। अप्रार्थीगण द्वारा जवाब पेश नहीं किया गया, जवाब बन्द किया जाता है। वास्ते बहस दिनांक: 26-6-24 को पेश हो।
	उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई
26-6-24	पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष उपस्थित। वास्ते बहस दिनांक: 5-8-24 को पेश हो।
	उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई
5-8-24	पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष उपस्थित। प्राप्त प्रस्ताव पर उभयपक्ष बहस सुनी। वास्ते आदेश दि० 14-8-24 को पेश हो।
	उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई
14-8-24	पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष उपस्थित। उभयपक्ष बहस पर मनन किया। प्राप्त

निवेदन किया ...
द्वारा वास्ते बाबत ...
के कारण उक्त ...
उचित प्रतीत नहीं ...
बांदीकुई द्वारा रास्ता ...
खातेदारी भूमि के ...
राजस्व रिकार्ड मे ...
बाबत बहस प्रस्त...
विस्तृत निर्णय ...
शामिल पत्रावली ...
मुताबिक होकर बा...

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	प्रस्ताव व अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत जवाब का अवलोकन किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा जवाब में मौके पर कोई रास्ता नहीं होने व रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं करने बाबत निवेदन किया है अतः अप्रार्थीगण/खातेदारान द्वारा रास्ते बाबत असहमति प्रकट करने के कारण उक्त प्रस्ताव स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है अतः तहसीलदार बांदीकुई द्वारा राजस्व ग्राम-कस्सापाड़ा स्थित खातेदारी भूमि के से प्रस्तावित रास्ते को राजस्व रिकार्ड में गैर मु० रास्ता दर्ज करने बाबत प्रस्तुत प्रस्ताव खारिज किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली नियमानुसार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। [signature] 14.8.24 उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई	